# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/02

रघुनाथ पुत्र श्री बालाराम जाति भील निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
——अपीलान्ट

**बनाम**

1. छीतर लाल पुत्र मांग्या जाति भील निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मोहन मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक: 06.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंमण्डी जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91 एवं 209 के अन्तर्गत ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 57 की रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2010 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया । न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 02.05.2011 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

ालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2011 की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर तनकी नं0 06 कामय की थी लेकिन उक्त तनकी पर दोनों पक्षों की शहादत नहीं ली जबकि तनकीयात कायम करने के पश्चात् दोनों पक्षों की शहादत लेकर उस तनकी का निस्तारण किया जाना चाहिए था । इसलिए उक्त निर्णय आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं । वादी अपीलान्ट ने अपना वाद राजस्व रिकॉर्ड व किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज से साबित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी माफी चाकरी की भूमि है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए छोडी हुई भूमि होती है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की

क त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं की से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायाहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा